

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2023/डी-1272

दिनांक:- 06/12/2023

कार्यवाही विवरण (पार्ट-1):-

विषय:- भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 277वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मंथन कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थित सदस्यों के साथ विचार विमर्श कर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है।

3. एजेण्डा नम्बर 277.3 (11.09.2023)(जोन-04):-

1.	भूखण्ड का विवरण	व्यवसायिक भूखण्ड, ग्राम चैनपुरा, जवाहर सर्किल, जयपुर।
2.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	1226.20 व.मी. (1466.00 वर्गगज)
3.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौड़ाई	200 फीट व 100 फीट
4.	भूखण्ड के आवंटन की प्रकृति- 90ए/90बी के तहत आवंटित/नीलामी/ रियायती पर आवंटित	दिनांक 07.10.2022 को भूखण्ड की व्यवसायिक प्रयोजनार्थ फ्री होल्ड लीजडीड मैसर्स कोविद कॉमर्शियल प्रा.लि. के पक्ष में जारी की गई है। तत्पश्चात दिनांक 31.03.2023 को श्री मनजीत सिंह चढ़दा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी किया गया।
5.	पुर्नगठित/एकल पट्टा/उप विभाजन/ एकल पट्टों से पुर्नगठित	एकल पट्टा (व्यवसायिक प्रयोजनार्थ)
6.	परियोजना-समूह आवास/मुख्यमंत्री जन आवास योजना/फ्लैट्स/स्टूडियो अपार्टमेंट/व्यावसायिक/ होटल/मिश्रित उपयोग/ वेयर हाउस/ रिसोर्ट/ मोटल/पर्यटन विभाग में पंजीकृत हैं तो।	व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।
7.	आवेदक का नाम	श्री मनजीत सिंह चढ़दा पुत्र श्री रावेल सिंह चढ़दा
8.	स्वामित्व रिपोर्ट	प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 07.10.2022 को जारी की गई हैं। अतः नवीनतम स्वामित्व/लेखा की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हैं।
9.	लेखा रिपोर्ट	
10.	निर्माण अवधि की दिनांक	प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 07.10.2022 को जारी की गई हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 के प्रावधान अनुसार फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 3 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात पुर्नग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा। अतः भवन निर्माण अवधि 06.10.2025 तक देय होगी।
11.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री विकास जैन, सी.ए./2000/26735
भवन मानचित्रों का तकनीकी विश्लेषण भवन विनियम 2020 अनुसार:-		
• नाहरगढ़ ईको सेन्सेटिव जोन से प्रभावित हैं अथवा नहीं		नहीं
• आर्मी कन्टोनमेंट एरिया की 500 मीटर की परिधि में हैं अथवा नहीं		नहीं
• एयरपोर्ट एन.ओ.सी. आवश्यक हैं अथवा नहीं		Airport NOC दिनांक 23.05.2023 के अनुसार 26.65 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैध अवधि दिनांक 22.05.2031 तक वैध है।
12.	तकनीकी विश्लेषण	जविप्रा के स्थल मानचित्रानुसार/भवन विनियम 2020 अनुसार
	1. सैटबैक	आवेदक द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रस्तावानुसार
	सामने-I (200' WIDE ROAD)	नियमानुसार हैं।
	पार्श्व-I (100' WIDE ROAD)	नियमानुसार हैं।
	पार्श्व-II	नियमानुसार हैं।
	पीछे	नियमानुसार हैं।
	2. अधिकतम आच्छादन	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर 27.70 प्रतिशत (399.65 व.मी.)
	3. अधिकतम ऊँचाई	सैटबैक क्षेत्र के अन्दर 23.47 प्रतिशत (287.78 व.मी.)
	4. कुल तलों की संख्या	57.19 मीटर (सड़क की चौड़ाई का डेढ गुना + अग्र सैटबैक) Airport NOC दिनांक 23.05.2023 के अनुसार 26.65 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैध अवधि दिनांक 22.05.2031 तक वैध है।
	5. सकल निर्मित क्षेत्रफल	1.22 मी. (प्लिन्थ) + 24.33 मी. (भूतल से 7 तल) = 25.55 मी. + 1.10 मी. (मशीन रूम/ मम्पटी) कुल 26.65 मी.
	6. बी. ए. आर.	(बेसमेंट + लोअर ग्राउण्ड + भूतल + 07 तल) कुल 10 तल
		2.00 (2452.40 व.मी.)
		2.798 (3431.33 व.मी.)
		नियमानुसार 978.93 व.मी. क्षेत्रफल की बेटरमेंट लेवी लेय हैं।

	7.	पार्किंग	57.19 ईसीयू 43 कार + 43 स्कूटर	58.66 ईसीयू 44 कार + 44 स्कूटर	नियमानुसार हैं।
	8	10.3.2:-क्षरण क्षेत्र (Refuge area) (संबंधित तल का 10 प्रतिशत या तीन तरफ खुली बालकनी या डबल हाईट टैरेस) नविधि के आदेश दिनांक 29.11.2022 अनुसार बहुमंजिला आवासीय भवनों डबल हाईट टैरेस (दो ओर खुली हुई) अथवा बालकनी होने पर पृथक से क्षरण क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होगी।	24 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु	लागू नहीं हैं।	—
	9	10.3.2(ix) 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु स्ट्रक्चरल डिजाइन मानचित्र	अनुमोदित भवन मानचित्र जारी करने के पश्चात अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैं।	लागू नहीं हैं।	—
	10.	10.3.2(x) भवन में अपेक्षित सेवाओं हेतु मानचित्रों के 2 सैट निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात्	अधिकतम 90 दिवस की अवधि में प्रस्तुत किया जाना हैं।	लागू नहीं हैं।	—
	11.	10.10(viii):-40 मीटर से अधिक ऊँचाई हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति	लागू नहीं हैं।	लागू नहीं हैं।	—
	12.	10.11.1:-वर्षा जल संग्रहण का चिह्निकरण	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	13.	10.11.2:-अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण व रिसाईकिलिंग	2500 व.मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।	लागू नहीं हैं।	—
	14.	10.11.2(4) सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का प्रावधान	10,000 व.मी. से अधिक सकल निर्मित क्षेत्रफल के भूखण्डों पर आवश्यक हैं।		
	15.	10.11.3:-पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण	आवश्यक हैं।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जावेगा।
	16.	10.11.4(ii) सोलिड वेस्ट का ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, भण्डारण, विकेंद्रित प्रसंस्करण के लिए एक अलग स्थल चिह्नित किया जाना होगा।	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	17.	12.1.2:-आगन्तुक पार्किंग का दर्शाया जाना	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में अंकित हैं।	नियमानुसार हैं।
	18.	E.V Charging Facility	आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत	विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित मानचित्रों में 10 प्रतिशत आगन्तुक पार्किंग के स्थान पर E.V Charging Facility का प्रावधान दर्शाया गया है।	उक्त प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लेय हैं, जिसका मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	19.	12.1.15 के अनुसार पार्किंग के प्रावधानों की पालना	आवश्यक हैं।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	20.	12.1.18:-पार्किंग सकुलेशन प्लान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	21.	14:-विशेष योग्यजनों हेतु प्रवेश पथ/उप पथ/पहुँच मार्ग/रेम्प/शौचालय/पार्किंग आदि का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
	22.	17.1:-Consent to Operate पर्यावरण विभाग से प्राप्त	20,000 व.मी. सकल निर्मित क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिवास प्रमाण-पत्र जारी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत किया जाना हैं।	लागू नहीं हैं।	—
	23.	बीपीसी-बीपी की 243वीं बैठक दिनांक 23.07.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार तडित चालक का प्रावधान	18 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों हेतु आवश्यक हैं।	विकासकर्ता से शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग लेय हैं।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	24.	बीपीसी-बीपी की 246वीं बैठक दिनांक 15.09.2021 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार संशोधन /विस्तार हेतु ईकाईयों के आवंटियों की सहमति	कुल आवंटियों में से दो तिहाई (2/3rd) आवंटियों की सहमति	लागू नहीं हैं।	—
	25.	रेरा में पंजीकरण	लागू है।	लागू हैं।	स्वीकृति पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	26.	पंजीकृत पर्यटन ईकाई/समूह आवास में कमरों/प्लेट्स की संख्या	लेय हैं अथवा नहीं।	लागू नहीं हैं।	—
	27.	ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के आवासों का प्रस्ताव अथवा 100/- प्रति व.फी. की दर से बी.एस.यू.पी. शेल्टर फण्ड लेय हैं।	लेय हैं अथवा नहीं।	लागू नहीं हैं।	—
	28.	भवन विनियम के अनुरूप बिना अनुमति निर्माण शास्ति	लेय हैं अथवा नहीं।	लेय नहीं हैं।	—
	29.	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 11(9)नविधि/2020पार्ट-III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार लेबर सेस	आवश्यक हैं।	भवन मानचित्र जारी करने से पूर्व श्रम विभाग में जमा की रसीद प्रस्तुत करनी होगी।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।
	30.	अग्निशमन शुल्क	आवश्यक हैं।	लेय है।	मांग पत्र में उल्लेख किया जाना हैं।

	31	प्रस्तावित बी.ए.आर. ई.डब्ल्यू. एस./एल.आई.जी. हेतु	आवश्यक हैं अथवा नहीं।	लागू नहीं हैं।	—
	32	सौर ऊर्जा का प्रावधान	आवश्यक हैं।	मानचित्रों में प्रस्तावित हैं।	नियमानुसार हैं।
13	मौका रिपोर्ट:- वर्तमान में भूखण्ड रिक्त है। भूखण्ड की नापें एवं सड़क जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान अनुसार उपलब्ध है। Airport NOC दिनांक 23.05.2023 के अनुसार 26.65 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 22.05.2031 तक है।				
14	प्रकरण के तथ्य:- विकासकर्ता द्वारा व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु दिनांक 26.04.2023 को आवेदन किया गया हैं। नविवि के आदेश दिनांक 10.08.2023 के बिन्दु संख्या 06 विनियम 10.7(v) के अनुसार "यदि तालिका 1 के बिन्दु संख्या 01 (i से ix) में शामिल आवासीय/व्यवसायिक/संस्थागत उपयोग के भूखण्डों पर देय सेटबैक्स के कारण न्यूनतम 40 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल प्राप्त नहीं होता है तो 40 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र प्राप्त करने के लिए अग्र सेटबैक को छोड़कर अन्य सेटबैक्स में शिथिलता दी जा सकेगी। यदि भूखण्ड एक से अधिक सड़क पर स्थित हो तो अग्र सेटबैक मुख्य सड़क की तरफ ही माना जायेगा एवं अन्य सड़क की ओर के सेटबैक में भूखण्ड की कतार में स्थित अन्य भूखण्डों के सेटबैक को ध्यान में रखते हुए शिथिलता प्रदान की जा सकेंगी। लेकिन बहुमंजिला भवन हेतु 30 मीटर ऊँचाई तक के भवनों में न्यूनतम 6 मीटर तथा 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों में 4.2 के अनुसार न्यूनतम पार्श्व व पृष्ठ सेटबैक रखा जाना अनिवार्य होगा।" उक्तानुसार प्रकरण में तकनीकी परीक्षण किया गया।				
15.	प्रस्ताव:- विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्रों के उपरोक्त तालिका में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र तकनीकी अनुमोदन योग्य हैं। विकासकर्ता द्वारा निम्न शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी:- 1. प्रश्नगत भूखण्ड की फ्री होल्ड लीजडीड दिनांक 07.10.2022 को जारी की गई हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 के प्रावधान अनुसार फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 3 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात पुर्नग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा। अतः भवन निर्माण अवधि 06.10.2025 तक देय होगी। 2. भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष देय होगी। 3. प्रस्तावित विस्तार हेतु पार्किंग के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु भवन विनियम 2020 के अनुसार शपथ पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की जानी होगी। 4. विकासकर्ता द्वारा अग्निशमन संबंधी आवश्यक मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित की जानी होगी एवं अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा, अतः उपरोक्त के संबंध में विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित हैं। 5. विकासकर्ता द्वारा लेबर सेस की राशि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(9)नविवि/2020पार्ट-III दिनांक 10.08.2023 के अनुसार निर्माण लागत की 1 प्रतिशत की राशि श्रम विभाग में जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति प्रस्तुत की जानी होगी। 6. भवन में आकाशीय बिजली से बचाव हेतु तडित चालक का प्रावधान N.B.C. के प्रावधान अनुसार किया जाना होगा एवं इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। 7. नियमानुसार लेय अग्निशमन शुल्क हेतु राज्यस्तरीय बैंक खाता संख्या 919010091350994, Axis Bank, Branch C-scheme, IFSC Code-UTIBOCCH274 में संस्था द्वारा जमा कराया जावेगा। 8. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता किये जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। 9. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चितता आप द्वारा सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है। 10. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastructure (CTI) के प्रावधान की सुनिश्चितता किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करें। 11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार हमारे द्वारा भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सड़कों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित की जानी होगी, इस आशय का शपथ पत्र विकासकर्ता से लिया जाना प्रस्तावित है। 12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखे जाने हेतु विकासकर्ता से शपथ पत्र लिया जाना प्रस्तावित है। 13. विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में बी.ए.आर 2.798 (3431.33 व.मी.) प्रस्तावित किया गया है। भवन विनियम 2020 के अनुसार मानक 2.00 (2452.40 व.मी.) अनुज्ञेय है। अतः प्रस्तावित अतिरिक्त बी.ए.आर. 978.93 व.मी. पर नियमानुसार बेटरमेंट लेवी लेय होगी। 14. नियमानुसार सम्पूर्ण शुल्क लेय होंगे।				

16. विचारणीय बिन्दु:-

1. मास्टर विकास योजना, 2025 वॉल्यूम 4 के प्रावधानानुसार All plots situated at junctions of 18 mtr. and above where rotaries/traffic islands are provided for regularization of traffic and all plots situated on either side of flyovers/ROB are barred from Mixed Land use commercial use permission. Existing establishments may continue. New permission shall not be granted if traffic is generated like Restaurants, Showrooms, Big commercial establishments. Only G+1 can be considered by the Competent Authority as per policy of the Government for regularization of such commercial activities unless detailed redevelopment plan is prepared for proper stream lining of traffic and parking provisions in such activities.

प्रश्नगत भूखण्ड जविप्रा द्वारा लेण्ड फॉर लेण्ड के तहत निष्पादित भूखण्ड है। उक्त भूखण्ड दो सड़कों के जंक्शन पर स्थित है, जहां रोटरी निर्मित है, किन्तु जविप्रा द्वारा जारी साईट प्लान में अंकित नोट अनुसार जविप्रा स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति के निर्णयानुसार भूखण्ड में केवल आश्रम मार्ग (30 मीटर) से ही प्रवेश अनुज्ञेय होगा एवं यातायात की दृष्टि से उक्त भूखण्ड का प्रवेश/निकास आश्रम मार्ग पर भूखण्ड के पश्चिम छोर पर स्थित/रखा जाना होगा। प्रस्तावित मानचित्रों में भूखण्ड को किसी भी प्रकार से अन्य लगती हुई सड़क (60 मी. जवाहर सर्किल रोड) से पहुंच मार्ग का प्रावधान नहीं दिया गया है, रोटरी पर उक्त भूखण्ड से ट्रैफिक प्रभावित नहीं होता है। अतः भूखण्ड को नॉन कॉर्नर मानते हुए रोटरी पर स्थित होने पर भी व्यवसायिक प्रयोजनार्थ 26.65 मी. ऊँचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय:- प्रस्तावित भवन मानचित्रों एवं एजेण्डा नोट का समिति द्वारा अवलोकन किया गया एवं निम्न निर्णय लिये गये:-

1. विचारणीय बिन्दु संख्या 01 के संबंध में समिति द्वारा यह तथ्य नोट किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित मानचित्रों में भूखण्ड को किसी भी प्रकार से अन्य लगती हुई सड़क (60 मी. जवाहर सर्किल रोड) से पहुंच मार्ग का प्रावधान नहीं दिया गया है। अतः अनुसार मास्टर विकास योजना, 2025 वॉल्यूम 4 के व्यवसायिक कॉर्नर भूखण्ड के प्रावधान प्रश्नगत भूखण्ड पर लागू नहीं होते हैं। अतः प्रश्नगत भूखण्ड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन के प्रस्ताव को समिति द्वारा स्वीकार किया गया।
2. एयरपोर्ट अनापत्ति 26.65 मीटर ऊँचाई ही है। प्रस्तावित मानचित्रानुसार टैरेस तल तक 25.55 मी. ऊँचाई प्रस्तावित की गई है एवं टैरेस पर पहुंचने हेतु फायर स्टेयर केस से रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जिस पर ममटी नहीं दर्शाई गई है। टैरेस पर 1.10 मीटर ऊँचाई का MRL (Machine room Less) लिफ्ट का स्ट्रक्चर दर्शाया गया है, जो कि तकनीकी रूप से उचित है।
3. एजेण्डा के बिन्दु संख्या-12 में उल्लेखित तकनीकी विश्लेषण अनुसार भवन मानचित्र अनुमोदन योग्य है तथा एजेण्डा के बिन्दु संख्या-15 के प्रस्ताव में उल्लेखित समस्त शर्तों की सुनिश्चितता किये जाने के दृष्टिगत भवन मानचित्रों का अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

[Signature]
06/12/2023

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

दिनांक 06/12/2023

क्रमांक जविप्रा/अति.मु.न.नि./बीपीसी(बीपी)/2023/डी-1272

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा एवं माननीय मंत्री महोदय, नविवि एवं आवासन विभाग, राजस्थान।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
5. अति. आयुक्त (पी.आर.एन)/प्रशासन, जविप्रा, जयपुर।
6. समस्त उपायुक्त जोनजविप्रा, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यवाही विवरण को अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. निदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

[Signature]
06/12/23

वरिष्ठ नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 277वीं बैठक दिनांक 11.09.2023 को प्रातः 10.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|--|------------|
| 1. डॉ. जोगाराम, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. श्री नलिनी कठोटिया, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 3. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (नगर आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 4. श्री रिकू बसंल, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य सचिव |

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1. श्री अर्पित संचेती, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री महेन्द्र मीणा, उप नगर नियोजक, बीपीसी-बीपी, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री कनिष्क सैनी, उपायुक्त जोन-04, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री विरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन-07, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा, उपायुक्त जोन-08, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मेघराज सिंह मीणा, उपायुक्त जोन-09 व 10, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री विजेन्द्र कुमार मीणा, उपायुक्त जोन-11, जविप्रा, जयपुर।
8. सुश्री दिप्ती बमणावत, सहायक नगर नियोजक, जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
9. सुश्री साक्षी बोहरा, सहायक नगर नियोजक, जोन-11, जविप्रा, जयपुर।


 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
 भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।